37

मान्नीय न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, प्रभारी क्षेत्र रीवा (म0प्र0)

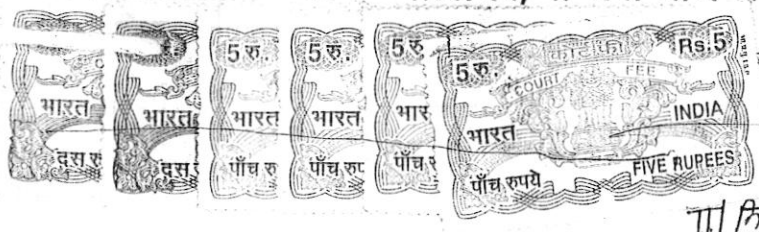

राजस्व निगरानी क्रमांक ....

III/ निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/4652

1. श्री अमरनाथ तिवारी आत्मज स्व0 श्री रामकिशोर तिवारी उम्र 61 वर्ष।
2. श्री श्याम सुन्दर तिवारी आत्मज स्व0 श्री राम प्रसाद तिवारी उम्र 76 वर्ष।
3. श्री राजकिशोर तिवारी आत्मज स्व0 श्री राम प्रसाद तिवारी उम्र 74 वर्ष।
4. श्री हर्ष नारायण तिवारी आत्मज स्व0 श्री राम प्रसाद तिवारी उम्र 70 वर्ष।
5. श्री सूर्यमणि तिवारी आत्मज स्व0 श्री श्याम किशोर तिवारी उम्र 53 वर्ष।
6. श्री इन्द्रमणि तिवारी आत्मज स्व0 श्री श्यामकिशोर तिवारी 45 वर्ष।

सभी जाति ब्रा0 निवासी ग्राम शाहपुर, तह0नईगढ़ी जिला रीवा (म0प्र0)

श्री आर.एस.सेंगर द्वारा आज दि. 25-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... आवेदक/निगरानी कर्तागण

बनाम

1. (क)श्री सहषमणि तिवारी आत्मज स्व0 श्री राम कृपाल तिवारी उम्र 51 वर्ष।
(ख)श्री प्रदीप कुमार तिवारी आत्मज स्व0 श्री रामकृपाल तिवारी उम्र लगभग 41 वर्ष।
(ग)श्री इन्द्रपति प्रसाद तिवारी आत्मज स्व0श्री रामकृपाल तिवारी उम्र लगभग 39 वर्ष।
(घ)मुस0 गुलाबकली बेवा पत्नी श्री जनार्दन प्रसाद तिवारी उम्र लगभग 55 वर्ष।
2. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार पिता स्व0 श्री सुमेश्वर राम तिवारी उम्र लगभग 40 वर्ष।
3. मुस0 चन्द्रकली बेवा पत्नी सुमेश्वर राम उम्र 85 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम शाहपुर थाना व तह0 नईगढ़ी, जिला रीवा (म0प्र0)

.... अनावेदकगण/गैर निगरानी कर्तागण

R S Sengar
आर.एस.सेंगर
25-11-17

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा द्वितीय राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 196/अपील /17–18 में पारित आदेश दिनांक 13.09.17 एवं 28.10.2017 बावत पारित किये गये यथास्थिति कायमी एवं ग्राहय की गयी अपील आदेश को निरस्त करने जो अनु0 अधि0 मऊगंज के प्रथम अपील प्रकरण 50/अ27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 के विरूद्ध कैबियट युक्त प्रस्तुत की गयी प्रचलित है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50/32 म0प्र0भू0रा0संहिता1959 ।

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य एवं आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि उक्त उन्मान वर्णित प्रकरण का संक्षिप्त में सारांश यह है कि उभय पक्ष एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं और संयुक्त सम्पत्ति मानते हुए ही सम्पूर्ण बाद ग्रस्त भूमियाँ जो क्रमशः ग्राम शाहपुर, दूबी एवं आंबी मुरली, तह0 नईगढ़ी, जिला रीवा में स्थित है का आपसी खाता विभाजन अन्य सम्पत्तियों के

रा.ज. किशोर तिवारी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 4652

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
22–12–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर एवं श्री अरविन्द पाण्डे द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक 196 / अपील / 17–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 13.09.2017 एवं 28.10.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के प्रथम अपील आदेश प्रकरण क्रमांक 50 / अ27 / 12–13 निर्णय दिनांक 16.08.2017 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 08.09.2017 को अपील करने के पूर्व ही उत्तर वादीगण द्वारा कैबियट दिनांक 24.08.2017 को ही प्रस्तुत की जा चुकी थी। किन्तु उत्तरवादीगण निगरानीकर्ताओं को न्यायालय द्वारा वैधानिक सूचना जारी नं. करते हुये मृतक व्यक्ति एक मात्र रामकिशोर के नाम नोटिस भेजने की औपचारिक पूर्ति करायी जाकर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुये अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के अपीलीय आदेश दिनांक 16.08.2017 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिनांक 13.09.2017 एवं 28.10.17 को जारी कर दिया गया था। इसी से	

दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 148(ए) का उद्देश्य यही है कि किसी भी सक्षम वरिष्ठ न्यायालय की एकपक्षीय कार्यवाही से होने वाली संभावित क्षति व अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश के क्रियान्वयन में कोई हस्तक्षेप करने के पूर्व कैबियट कर्ताओं को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर ही कोई अग्रिम कार्यवाही की जावेगी, किन्तु इस प्रकरण में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने कैबियट कर्ता को बिना सुने स्थगन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता यह भी तर्क किया गया गया है कि भी आपत्ति है कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 08.09.2017 को जब अपील प्रस्तुत की गई थी तो अपील के समर्थन में अथवा धारा 52 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये स्थगन आवेदन पत्र के समर्थन में संहिता की धारा 44(एफ) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में प्राथमिक दृष्टि में नहीं होते हुये भी निर्धारित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लघंन करते हुये अपील ग्राह्य कर ली गई थी व यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया था जो उचित नहीं था क्योंकि अनावेदकगण ने अपने अपील पत्र में जिन नवीन तथ्यों का समावेश किया गया है वह आधारहीन है। मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित करने का आधार अनावेदकगण द्वारा जवरन कब्जा कर लेने की आशंकाओं पर आधारित जिसका उल्लेख स्थगन आवेदन में किया गया था जबकि तहसीलदार के स्तर पर प्रकरण

प्रारम्भ रहने के दौरान उनके आदेशानुसार आपसी बंटवारा पुल्ली दिनांक 15.04.90 का भौतिक सत्यापन कराने पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा भी आवदेकगण के हिस्से में प्राप्त भूमियौं में उनका कब्जा दखल मौके पर होने बावत् प्रतिवेदन दिनांक 29.10.07 को प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रकरण में संलग्न है जो आवेदिकों के कब्जे दखल की पुष्टि करता है मौखिक बंटवारा वर्ष 1972 से लेकर 2017 की अवधि 45 वर्ष पूर्ण हो रही है इससे इंकार नहीं किया जा संकता है। इस संबंध में कैबियटकर्ताओं ने दिनांक 29.09.2017 को अपर आयुक्त रीवा के समक्ष उनके आदेश दिनांक 13.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत कर यथास्थिति कायम करने का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसका कोई जवाब अनावेदकगण द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया और न ही न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर कोई ध्यान दिया गया है। इसी तरह आवेदन दिनांक 06.10.2017 को निगरानीकर्ताओं की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अपील एवं स्थगन आवेदन के समर्थन में कोई शपथ पत्र अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न करने का विरोध करते हुये उनसे अपील के झूठे व कूट रचित तथ्यों के सम्बन्ध में अण्डर टेकिंग आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ लिये जाने का भी अनुरोध किया गया था किन्तु अनावेदकगण ने उक्त आवेदन का भी न तो कोई विरोध किया और ना ही कोई जवाब पेश किया साथ ही न्यायालय द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि संहिता की धारा 44(एफ) के आधार पर शपथ पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक था। अनावेदकगण द्वारा जो तथ्य निचली

आदलतों में कभी नहीं उठाये गये थे ऐसे तथ्यों को अपर आयुक्त के समक्ष उठाये जाने के कारण शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। उभयपक्ष के मध्य वर्ष 1972 में आपसी मौखिक विभाजन किया जाना तथा उसके आधार पर आपसी बंटवारा का लेख परिवार प्रमुख स्व. सुमेश्वर राम के जीवनकाल में दिनांक 15.04.90 को तैयार कराया जाना प्रमाणित है। जिसका अनुमोदन दिनांक 14.10.94 को परिवार प्रमुख स्व. सुमेश्वर राम के मृत्यु पश्चात् भी किया गया था और साक्षी के रूप में हस्ताक्षर स्वयं अपीलार्थी ज्ञानेन्द्र कुमार व सहषमणि आदि के पिता रामकृपाल तिवारी द्वारा अन्य साक्षियों सहित किये गये थे। बंटवार पत्र के लेखक के संबंध में अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील करने के पूर्व कभी अन्य किसी न्यायालय में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किये गये थे बंटवारा पुल्ली दिनांक 15.04.90 के संबंध में ना कोई आपत्ति की गई थी और ना ही उसे निरस्त कराने की कोई वैधानिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गई है। आवेदक अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 06.10. 2017 को अपीलार्थीगण के अपील के खण्डन में लिस्ट कागजात सूची के साथ कई आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत भी किये गये थे जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई है। आवेदन पत्र दिनांक 29.09. 2017 व 06.10.2017 एवं 13.10.2017 को भी जो आवेदन अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष तर्क सहित उत्तरवादीगण की ओर पेश किये गये थे उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां इस न्यायालय में अपने सभी आवश्यक अभिलेखों के सहित निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुये अपने प्रारम्भिक तर्क के दौरान निगरानीकर्ताओं के

अभिभाषकगण द्वारा सभी प्रस्तुत अभिलेखों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के न्यायालयीन सम्पूर्ण कार्यवाही की ऑर्डर शीट की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन तथा अध्ययन करने से यह प्रमाणित है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा आवेदक के किन्हीं भी विधिक आपत्तियों की ओर ना तो न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया और ना ही कैबियट के संबंध में या अन्य आवेदनों के संबंध में वैधानिक सुनवाई की गई है बल्कि एकपक्षीय अपीलार्थीगण को अवैधानिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किय गया है जो विधि विरूद्ध है। अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील भी प्रथम दृष्टया ही अग्राह्य की जाकर निरस्त किये जाने योग्य होते हुये भी ग्राह्य कर ली गई है जबकि अपील प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य ही नहीं थी। आवेदक ने अपने निगरानी आवेदन पत्र में बिन्दु क्रमांक 1 से लेकर 25 तक में विस्तृत विवरण के साथ कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है तथा अपने आवेदन पत्र के समर्थन में जो अभिलेख प्रस्तुत किये है उन्हें ध्यान में रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2017 को विस्तृत विवेचना के साथ पारित किये गये आदेश के अनुक्रम में तहसीलदार नईगढ़ी जिला रीवा द्वारा भी दिनांक 18.08.2017 को ही प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 29.10.94 एवं उसी दिनांक को अनावेदक की ओर से जवाब दावे में दी गई सहमति व चाहे गयें उभयपक्ष के अनुतोष को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन आपसी बंटवारां आवेदनाा पत्र को आधआधार मानते हुये प्रकरण क्रमांक 16/अ27/94–95 की प्रारम्भिक आदेश पत्रिका

दिनांक 29.10.94 को दृष्टिगत रखते हुये जो आदेश दिनांक 16.08.2017 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है न्यायोचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। आवेदकों की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अपने निगरानी आवेदन पत्र के साथ मुताबिक सूची दस्तावेज जो प्रस्तुत किये गये है उन्हें पूर्व में अपर आयुक्त समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थीगण अनावेदकों द्वारा अपने अपील मेमो में यह भी उल्लेख किया गया है कि बंटवारा शुदा भूमियां पैत्रिक व संयुक्त नहीं थी जबकि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर संयुक्त सम्पत्ति एवं पैत्रिक होना प्रमाणित की गई है ऐसे आवश्यक अभिलेखों का उदाहरण स्वयं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अन्तर्गत भी देखने को मिलता है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा का अंतिरिम आदेश दिनांक 13.9.17 एवं 28.10.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदकगण के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन कियाा गया अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक पक्ष की अपील के 'प्रचलन शीलता के बिन्दु पर निगरानीकर्ताओं द्वारा मुख्य रूप से जो आपत्ति व्यक्त की गई है उन सभी बिन्दुओं के संबंध में. प्रश्नाधीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/अ27/94–95 के प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 29.10.94 तथा दिनांक 18.08.2017 एवं मूल वाद पत्र तथा उसी दिनांक को एक ही साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब दावा दिनांक 29.10.94 की प्रमाणित प्रतिलिपियों प्रस्तुत की। जिससे तत्कालीन आपसी

सहमति दोनों पक्षों की होना पायी जाती है। पटवारी हल्का से तहसीलदार द्वारा मौके के आधिपत्य के संबंध में तैयार कराये गये फर्द बंटवारे पत्रक दिनांक 29.10.07 का भी अवलोकन किया जिससे आपसी बंटवारा पत्रक दिनांक 15.04.90 की पुष्टि की गई है उसी आपसी बंटवारा पुल्ली दिनांक 15.04.90 के आधार पर स्वयं नायब तहसीलदार नईगढ़ी द्वारा अन्य ग्राम शाहपुर की भूमियों के बंटवारा नामान्तरण का एक अन्य राजस्व प्रकरण क्रमांक 18/अ–27/94–95 निर्णय दिनांक 13.10.2008 द्वारा स्वीकार किया जाकर अभिलेख संशोधन कराये जा चुके। उक्त आदेश अंतिम आदेश है जिसका उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के अपील प्रकरण क्रमांक 50/अ–27/12–13 आदेश दिनांक 16.08.17 में भी किया गया है। यदि एक ही बंटवारा पत्रक दिनांक 15.04.90 में आपसी तौर पर लिये गये निर्णय के आधार पर एक ग्राम की भूमियों का बंटवारा नामान्तरण स्वयं नायब तहसीलदार नईगढ़ी द्वारा ही स्वीकार किया जा चुका है और वह अंतिम आदेश है तब ऐसी परिस्थिति में उक्त विवादित ग्राम दूबी की भूमियों के बंटवारा नामान्तरण की कार्यवाही को उसी बंटवारा पुल्ली दिनांक 15.04.90 के विपरीत जाकर नामान्तरण स्वीकार न करने के संबंध में अनावेदक की आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है। जिसका विवरण अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के आदेश दिनांक 16.08.17 में भी अंकित है। अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के आदेश के परीक्षण से यह भी पाया जाता है कि वर्तमान विवादित प्रकरण में लगभग 23 वर्षों तक तहसीलदार स्तर पर अनावश्यक पक्षकारों की

अटकलों के कारण निराकरण करने में काफी समय व्यतीत किया गया है। जबकि इसके पूर्व भी अपर कलेक्टर रीवा द्वारा अपने निगरानी प्रकरण क्रमांक 474 / अ27 / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 11.08.08 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.05.08 को निरस्त करते हुये 30 दिवस के अंदर नामान्तरण प्रकरण का निराकरण करने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के आदेश दिनांक 16.08.2017 के आधार पर दिनांक 18.08.2017 को अपना अंतिम आदेश पारित करते हुये पटवारी हल्का को अभिलेख सुधार करने के आदेश दिये गये है। अभिलेख सुधार करने के आदेश भी दिये गये हैं । किन्तु पटवारी हल्का नेदिनांक 18.8.17 को सूचित होने के बावजूद इत्तलायावी दर्ज नहीं किया है जो आदेश का उल्लंन है। निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अपर आयुक्त की सम्पूर्ण ऑर्डर शीट एवं अन्य आवेदन पत्रों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियों, तहसीलदार न्यायालय के आवश्यक आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं निगरानी के संबंधित कुछ आवश्यक न्याय दृष्टांत का विवरण उद्धहरण पेश किया है जिसका भी मेरे द्वार अवलोकन व मनन किय गया है। यहॉ पर यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि अनावेदकगण द्वारा प्राप्त अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय से यथास्थिति का आदेश नईगढ़ी को दिनांक 22.08.2017 को प्राप्त हुआ था जबकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2017 का पालन तहसीलदार द्वारा अपने आदेश पत्रिका दिनांक 18.08.2017 द्वारा किया जा चुका था। केवल खसरों में पटवारी हल्का द्वारा

इत्तालायावी दर्ज करना शेष है। अपीलार्थीगण ने एक मात्र अपर आयुक्त रीवा के समक्ष न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2017 को यथास्थिति में रखने का निवेदन किया है किन्तु तहसीलदार के आदेश दिनांक 18.08.2017 को कोई चुनौती नहीं दी गई है। उक्त स्थिति में अपर आयुक्त रीवा के द्वारा भी उनके आदेश दिनांक 13.09.2017 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2017 को यथास्थिति में रखने संबंधित पारित किये गये आदेश का कोई वैधानिक महत्व नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी के आलौच्य आदेश दिनांक 16.08.2017 में ऐसी कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है जिसे निरस्त किया जा सके। उभय पक्ष यदि आपसी बंटवारा से पूर्व में सहमत रहे है तथा किन्हीं कारणों से एक पक्ष अब उसका अगर विरोध करना चाहता है तो उसके विरोध के कारण आपसी बंटवारा पत्रक दिनांक 15.04.90 को ना तो अमान्य करने की अधिकार का राजस्व न्यायालय को प्राप्त है और ना ही आवेदकगण के हिस्से में प्राप्त भूमियों के नामान्तरण की कार्यवाही को ही रोका जा सकता है। आवेदकों के कब्जे दखल के संबंध में तहसीलदार द्वारा कराये गये मौतिक सत्यापन संबंधित जॉच प्रतिवेदन फर्द बंटवारा पत्रक दिनांक 29.10.2007 जिसे राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा तैयार कराया गया था का भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया है जिससे आवेदकों को हिस्से में मूल वाद पत्र के अनुलंग्न(अ) के अनुसार प्राप्त भूमियों का मिलान कराने पर भी बंटवारा पुल्ली दिनांक 15.04.90 की आपसी कार्यवाही की पुष्टि करायी जा चुकी है। यदि अनावेदक पक्ष

नामान्तरण बंटवारा या आपसी फर्द बंटवारा दिनांक 15.04.90 से असहमत हो तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा बंटवारा पुल्ली को अमान्य कराने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प0 क0 196/अपील/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 13.09.2017 एवं 28.10.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य